(182)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5060—दो/2015 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 3—09—2015 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 678/निगरानी/2010—11.

.....

1—श्रीमती निशा पटेल पत्नी श्री मनीष पटेल
2— रामसिया सिंह तनय श्री जे0 पी0 पटेल
3— गीता सिंह पत्नी श्री रामसिया सिंह पटेल
4—मनीष पटेल तनय श्री रामसिया सिंह पटेल
निवासीगण मोहल्ला इन्द्रानगर रीवा

—— आवेदकगण

विरूद्ध

1—संस्कीरत सिंह तनय श्री रामकिशोर सिंह
2— अमरसिंह तनय श्री संस्कीरत सिंह
3— रामवेन्द्र सिंह तनय श्री संस्कीरत सिंह
4— पुष्पराज सिंह तनय श्री श्यामलाल सिंह
5— नागेन्द्रसिंह उर्फ बिहारी सिंह तनय श्री श्यामलाल सिंह
6— रामनरेश सिंह तनय श्री रघुनंदन सिंह
7— राजेन्द्र सिंह तनय श्री रघुनंदन सिंह
8— यादवेन्द्र सिंह तनय श्री रघुनंदन सिंह
9— धीरेन्द्र सिंह तनय श्री रघुनंदन सिंह
सभी निवासी ग्राम बरा (बजरंग नगर)
तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

—— अनावेदकगण

.....

श्री भानू प्रताप सिंह, अभिभाषक, आवेदक
श्री भास्कर पाण्डेय, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 22/9/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–09–2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण के द्वारा तहसीलदार हुजूर जिला रीवा के समक्ष भूमि आराजी न0 79/35 एवं 79/36 के नक्शा तरमीम किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर तहसीलदार ने उक्त प्रकरण में विधिवत इश्तहार एवं सूचना का प्रकाशन करवाकर नक्शा तरमीम किये जाने का आदेश दिनांक 6.4.10 को पारित किया। इससे दुखित होकर अनावेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसे आदेश दिनांक 26.7.11 को अनावेदकगण की निगरानी स्वीकार की गई इसी से दुखित होकर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में प्रकरण कमांक 678/निगरानी/10–11 में पारित आदेश दिनांक 3.9.15 द्वारा अपर कलेक्टर का आदेश मान्य करते हुये निगरानी निरस्त की गई है इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

3– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। निगरानीकर्ता द्वारा उन्हीं बिन्दुओं को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक कमांक–4 मनीष पटेल के द्वारा विचारण न्यायालय में वादग्रस्त भूमि के नक्शा तरमीम हेतु आवेदन पेश किया गया था। राजस्व निरीक्षक के द्वारा नक्शा तरमीम का प्रतिवेदन तैयार करते समय किसी भी सरहददी कृषक को कोई सूचना नहीं दी गई है। सूचना पत्र में निगरानीकर्तागण को भी सूचना नहीं दी गई है। प्रकरण में संलग्न रजिस्टर्ड विकय पत्र अंकित चौहददी के अनुसार भी किसी को सूचना नहीं दी गई है। वादग्रस्त भूमि के निगरानीकर्तागण सरहददी कृषक है। स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि के नक्शा तरमीम के जांच हेतु गैर निगरानीकर्ता संस्कीरत सिंह आदि को कोई सूचना नहीं दी गई थी । तरमीम प्रतिवेदन के साथ फील्डबुक तैयार कर प्रस्तुत नहीं की गई है। राजस्व निरीक्षक के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में विस्तृत विवरण नहीं दिया

गया है। फिर भी तहसीलदार के द्वारा त्रटिपूर्ण प्रतिवेदन/प्रस्ताव के आधार पर नक्शा तरमीम का आदेश पारित किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा यह माना गया कि सरहददी काश्तकारों को सुने वगैर नक्शा तरमीम नहीं किया जा सकता है। फिर भी अपर कलेक्टर के द्वारा तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश में जो त्रुटि बताई गई है वह न्यायोचित है। प्रकरण में परतुत दस्तावेज लेखिक /मौखिक साक्ष्य से प्रस्तुत निगरानी की पुष्टि नहीं होती है। यह सब विवरण अपर आयुक्त के द्वारा अपने आदेश में किया गया है इसलिये यहां पुनः दौहराने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। अपर कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 163/अ–74/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 26.7.11 विधि सम्मत होने से अपर आयुक्त रीवा द्वारा उचित माना गया है। मैं इससे सहमत हूँ और अपर आयुक्त रीवा के आदेश में कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। परिणामस्वरूप अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण कमांक 678/निगरानी/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 3.9.15 विधि प्रकिया से उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर